राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4(5)ग्रावि/नरेगा/रागासेके/09–10 जयपुर, दिनांक : 13.02.10

जिला कलेक्टर एंव जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषयः **भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषायान्तर्गत लेख है कि प्रत्येक पंचायत समिति एंव ग्राम पंचायत मुख्यालय पर निर्माण किये जाने वाले सेवा केन्द्रों के कम में विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश एंव आवश्यक मार्गदर्शन जारी किये जा चुके हैं।

विभिन्न जिलों द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं के संबंध में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है :–

1. **सेवा केन्द्रों की कुल लागत** – प्रत्येक पंचायत समिति स्तरीय केन्द्र की अधिकतम लागत रु0 25.00 लाख एवं ग्राम पंचायत स्तरीय केन्द्र की लागत रु0 10.00 लाख होगी।

पंचायत समिति स्तरीय सेवा केन्द्र के निर्माण के कम में प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं परावि के आदेश दिनांक 25.9.2009 में अंकित राशि रु0 26.00 लाख के स्थान पर रु0 25.00 लाख पढ़ी जावे।

सूचना प्रोधोगिकी एंव संचार विभाग की आज्ञा कमांक 67 दिनांक 11.01.2010 के द्वारा शहरी क्षेत्रों में स्थित पंचायत समिति सेवा केन्द्रों की प्रथम किश्त की राशि हस्तान्तरित की गई थी। इस आदेश के बिन्दु सं0 1 में यह अंकित किया गया है कि सेवा केन्द्र की लागत रु0 26.00 लाख होगी, जिसमें रु0 6.00 लाख पांच वर्षों के लिये फैसेलिटी मैनेजमेंट सर्विस की लागत भी शामिल है। केन्द्र के निर्माण के लिये केवल रु0 20.00 लाख है। **इस स्थिति को संशोधित करते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि** प्रत्येक केन्द्र की अधिकतम लागत रु0 25.00 लाख रूपये होगी।

पंचायत समिति स्तरीय केन्द्र की अधिकतम लागत रु0 25.00 लाख में भवन निर्माण के लिए रु0 21.80 लाख एंव सोलर संयत्र स्थापित करने हेतु रु0 3.20 लाख उपलब्ध होगें।

ग्राम पंचायत स्तरीय प्रत्येक केन्द्र की अधिकतम लागत रु0 10.00 लाख में भवन निर्माण के लिए रु0 8.30 लाख एवं सोलर संयत्र स्थापित करने हेतु रु0 1.70 लाख उपलब्ध होगें।

सोलर संयत्र की स्थापना के कम मे पूर्ण विवरण **बिन्दु संख्या 11** मे अंकित है।

2. **पंचायत समिति स्तरीय सेवा केन्द्रों के लिए वित्त पोषण निम्नानुसार किया जावेगा** –

अ. **शहरी क्षेत्र में स्थित पंचायत समिति स्तरीय सेवा केन्द्र का निर्माण –**

(i) बी.आर.जी.एफ. योजना के 13 जिलों (बॉसवाडा, बाडमेर, चित्तौड, डूँगरपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, करौली, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर एवं प्रतापगढ) मे पंचायत समिति स्तरीय सेवा केन्द्रों का निर्माण बी.आर.जी.एफ. मद तथा नाबार्ड से प्राप्त ऋण से कराया जावेगा। बीआरजीएफ मद से 16.75 लाख रू. तथा नाबार्ड मद से 8.25 लाख रू. कुल 25 लाख रू. की राशि वहन की जावेगी।

(ii) **गैर** बीआरजीएफ जिलों के शहरी क्षेत्रों की पंचायत समिति स्तरीय केन्द्र का पूर्ण निर्माण **नाबार्ड** से प्राप्त ऋण राशि से किया जावेगा। प्रत्येक केन्द्र हेतु रु0 25.00 लाख की राशि नाबार्ड मद से वहन की जावेगी।

ब. **ग्रामीण क्षेत्र में स्थित पंचायत समिति स्तरीय सेवा केन्द्र का निर्माण –**

(i) बी.आर.जी.एफ. योजना के 13 जिलों मे ग्रामीण क्षेत्रो की पंचायत समिति स्तरीय सेवा केन्द्रों का निर्माण बीआरजीएफ मद तथा **महात्मा गांधी नरेगा** योजनान्तर्गत कराया जावेगा। बीआरजीएफ मद से 16.75 लाख रू. एवं नरेगा मद से 8.25 लाख रू. कुल 25 लाख रू. की राशि वहन की जावेगी।

(ii) **गैर** बीआरजीएफ जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों की पंचायत समिति स्तरीय भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र का निर्माण **महात्मा गांधी नरेगा** योजनान्तर्गत किया जाएगा। प्रत्येक केन्द्र हेतु रु0 25.00 लाख की राशि नरेगा मद से वहन की जावेगी। इन कार्यों के तकमीने नरेगा दरों के अनुसार तैयार किये जावे।

पंचायत समिति स्तरीय सेवा केन्द्रों के निर्माण हेतु वित्त पोषण की उपरोक्त सम्पूर्ण स्थिति को मदवार स्पष्ट करने के लिये जिलेवार एंव पंचायत समितिवार वित्त पोषण व्यवस्था का एक संकलित प्रारुप सुलभ संदर्भ हेतु **परिशिष्ट–अ पर** एवं पंचायत समितिवार विस्तृत विवरण **परिशिष्ट ब** पर संलग्न है।

3. <u>**ग्राम पंचायत स्तरीय सेवा केन्द्रों के लिए वित्त पोषण**</u> – प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तरीय सेवा केन्द्र का निर्माण **महात्मा गांधी नरेगा** योजनान्तर्गत किया जावेगा।

4. <u>विभिन्न मदों में राशि की उपलब्धता/हस्तान्तरण प्रक्रिया</u>–

अ **महात्मा गांधी नरेगा मद** – महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जिलों में उपलब्ध राशि से ही नरेगा मद की राशि व्यय की जावेगी।

ब **बीआरजीएफ मद** – बीआरजीएफ योजना से जुड़े 13 जिलों की प्रत्येक पंचायत समिति में पंचायत रिसोर्स केन्द्रों की स्थापना हेतु रु0 16.75 लाख की दर से राशि का हस्तान्तरण शासन सचिव एंव आयुक्त, पंचायती राज द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश कमांक 764 दिनांक 30.11.09 के द्वारा किया जा चुका है । अब इन केन्द्रों के लिए बीआरजीएफ मद से कोई राशि उपलब्ध नहीं करायी जावेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि पंचायत समिति स्तरीय भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र एंव बीआरजीएफ आदेश में अंकित पंचायत रिसोर्स केन्द्र एक ही भवन है, अतः बीआरजीएफ योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोग भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के निर्माण पर ही किया जावेगा।

स **नाबार्ड ऋण** – शहरी क्षेत्र की पंचायत समिति केन्द्रों के लिए शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा आज्ञा कमांक 67 दिनांक 11.1.2010 के द्वारा 8.064 लाख रु0 प्रति केन्द्र की दर से राशि का हस्तान्तरण किया जा चुका है। उक्त आज्ञा में अंकित शर्तों की पालना करने पर शेष राशि सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा नियमानुसार उपलब्ध करा दी जावेगी।

5. **स्वीकृति जारी करना एवं राशि व्यय करने की प्राथमिकता** :–

जिन सेवा केन्द्रों का निर्माण दो योजनाओ की राशि से किया जा रहा है, उनमे समस्त कार्य का एक ही तकमीना एवं एक ही प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होगी। वित्तीय स्वीकृति मे विभिन्न योजनाओ से उपलब्ध राशि का स्पष्ट अंकन कर दिया जावे। बीआरजीएफ मद से इन कार्यो के सम्पादन मे होने वाली कुल व्ययराशि 16.75 लाख रूपये में श्रम एवं सामग्री का व्यय शामिल है अर्थात 16.75 लाख तक लागत का कार्य कराने मे होने वाला श्रम मद का व्यय भी बीआरजीएफ का ही भाग होगा। अतः कार्य की कुल लागत में से 16.75 लाख रूपये के कार्य बीआरजीएफ मद से करवाकर सर्वप्रथम बीआरजीएफ मद की पूर्ण राशि 16.75 लाख रूपये व्यय की जावे। चूंकि उक्त कार्य डवटेलिंग के माध्यम से निष्पादित करवाया जा रहा है, अतः दोनो योजनाओं में व्यय की जाने वाली राशि का पृथक्–पृथक् उपयोगिता प्रमाण–पत्र संधारित किया जाएगा। इस प्रकार से तैयार किये जाने वाले उपयोगिता प्रमाण–पत्र का प्रपत्र **परिशिष्ट–'स'** पर संलग्न है। बीआरजीएफ के अन्तर्गत जिन–जिन श्रमिकों द्वारा काम किया जाएगा, उनका लेखा भी पृथक् से संधारित किया जावे ताकि वाल पेन्टिंग एवं सामाजिक अंकेक्षण के समय सारी सूचनाएं उपलब्ध रहें।यह राशि व्यय होते ही इस राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी कर दिया जावे।

तत्पश्चात सेवा केन्द्र के शेष कार्य को नाबार्ड से प्राप्त ऋण राशि अथवा नरेगा योजना से पूर्ण करा लिया जावे। सोलर पैनल लगाने का कार्य नरेगा अथवा नाबार्ड ऋण मद से ही किया जावे।

अन्य मदो की राशि का पूर्ण उपयोग होने एव कार्य पूर्ण होने पर कार्य का पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी कर दिया जावे। इस पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र मे बीआरजीएफ मद एवं अन्य मदो में प्राप्त राशि एव व्यय राशि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

नरेगा स्थाई समिति के क्रम में जारी विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2(64)आरडी/ नरेगा/2009–10 दिनांक 08.02.2010 के अनुसार ग्राम पंचायत स्तरीय सेवा केन्द्र के निर्माण पर किये जाने वाले व्यय का भुगतान स्थाई समिति की संस्तुति उपरांत ही किया जावे।

6. **कार्यो का वार्षिक कार्य योजना में शामिल होना** – ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति स्तरीय सेवा केन्द्रों के निर्माण के कम में कतिपय जिलों द्वारा यह जानकारी चाही है कि इस कार्य को दिनांक 1.4.10 से पूर्व भी प्रारम्भ किया जा सकता है या नहीं ? इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार ने नरेगा अधिनियम की अनुसूची 1 में दिनांक 11.11.09 को संशोधन कर इस कार्य के निर्माण को अनुमत कर दिया है। अतः नरेगा वार्षिक कार्य

योजना वर्ष 2009—10 में सम्मिलित हुए बिना भी पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तरीय इन कार्यों को प्रारम्भ करवाया जा सकता है। वर्ष 2010—11 की वार्षिक कार्य योजना में इस कार्य को सम्मिलित करवाये जाने हेतु इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक एफ 4(51)आरडी/नरेगा/09—10 दिनांक 23.10.09 द्वारा भी निर्देशित किया जा चुका है।

7. <u>भवन निर्माण हेतु आवश्यक मानचित्र</u>— प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग के पत्रांक एफ 1(109)/आरडी/ग्रुप—8/2009 दिनांक 26.11.09 द्वारा पंचायत समिति मुख्यालय पर निर्मित किये जाने वाले भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के मानचित्र (क्षेत्रफल 1938 वर्गफीट) एवं निर्माण के विभिन्न चरणों की समय सीमा निर्धारित की गई थी । दिनांक 09.11.09 को जारी मानचित्रों को अतिक्रमित करते हुये पुनः विस्तृत दिशा निर्देश एवं पंचायत समिति स्तरीय केन्द्रों के संशोधित ड्राइंग (क्षेत्रफल 3100 वर्गफीट) व डिजाईन इस कार्यालय के सम संख्यक पत्र दिनांक 19.12.09 द्वारा जारी किये जा चुके हैं।

जिन पंचायत समिति केन्द्रों का निर्माण पूर्व मानचित्र के अनुसार प्रारम्भ भी हो चुका है, उन के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन केन्द्रों का निर्माण दिनांक 9.11.09 को निर्धारित किये गये नक्शे (पुराना नक्शा) अनुसार प्रारम्भ कर दिया गया है उनका निर्माण कार्य तदनुसार ही पूर्ण करा लिया जावे। दिनांक 19.12.09 को जारी नवीन मानचित्र के अनुसार निर्मित किये जाने वाले कुल क्षेत्रफल (3100 वर्गफीट) के अन्तर क्षेत्रफल का शेष निर्माण कार्य भूतल पर स्थान की उपलब्धता के अनुसार अतिरिक्त निर्माण अथवा प्रथम तल पर करवा लिया जावे, अर्थात यदि पूर्व में 1938 वर्गफीट का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है तो शेष क्षेत्रफल 1162 वर्गफीट का निर्माण स्थान की उपलब्धता होने पर भूतल पर अन्यथा प्रथम तल पर अतिरिक्त निर्माण कार्य इस तरह से करवा दिया जावे कि पूरा भवन एक समग्र ईकाई के रूप में दिखे।

भवन निर्माण के क्रम में पूर्व में दिये गये निर्देशों के अतिरिक्त निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं का भी ध्यान रखा जावे—

1. कम्प्यूटर्स को जोड़ने के लिए लोकल एरिया नेटवर्क स्थापित किया जावे।
2. इन्टरकोम आदि स्थापित करने के लिए पूर्ण नेटवर्क स्थापित किया जावे।
3. अर्थिंग (Earthing) का प्रावधान किया जावे।
4. छत पर लगाये जाने वाले सोलर संयत्र से लेकर सर्वर रूम तक लाईन डालने का कार्य।

8. <u>रेनवाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर</u> — प्रत्येक ग्राम पंचायत एंव पंचायत समिति स्तरीय सेवा केन्द्र में एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का भी निर्माण कार्य कराया जावेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इनका निर्माण नरेगा योजना में अनुमत कार्यों के तहत पृथक से किया जावे। स्ट्रक्चर की क्षमता का निर्धारण इस प्रकार किया

जावे कि संपूर्ण कार्यालय भवन का वर्षा जल इसमें एकत्रित हो सके। यदि पूर्व से ही पर्याप्त क्षमता का स्ट्रक्चर परिसर में बना हुआ है तो नवनिर्मित भवन के वर्षा जल को भी इस स्ट्रक्चर में संग्रहित किया जा सकता है एवं नवीन निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

9. **<u>तकनीकी निष्पादन</u>**– भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र एवं पूर्ण गुणवत्तापूर्ण किया जाना है। अतः जिला स्तर पर पदस्थापित अधिशाषी अभियन्ता (अभियांत्रिकी) एवं अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस में पंचायत समितियों का विभाजन कर दिया जावे, ताकि एक ही अभियन्ता पर अधिक कार्यभार ना हो, साथ ही जिले में कार्यरत अन्य अधिशाषी अभियन्ता का गुणात्मक कियान्वयन हेतु पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सके। अधिशाषी अभियन्ताओं को आवंटित की जाने वाली पंचायत समितियों में होने वाले सेवा केन्द्रों के कार्यों के लिए संबंधित अधिशाषी अभियन्ता पूर्णरूपेण जिम्मेदार होंगे।

पंचायत समिति स्तरीय प्रत्येक सेवा केन्द्र निर्माण की तकनीकी स्वीकृति संबंधित अधिशाषी अभियन्ता द्वारा जारी की जावेगी।

ग्राम पंचायत स्तरीय सेवा केन्द्र का मॉडल तकमीना बनाया जाकर तद्नुसार तकनीकी स्वीकृति संबंधित अधिशाषी अभियन्ता द्वारा ही जारी की जावे ताकि एक जिले मे पूर्ण नवीन कार्य की लागत एवं निर्माण में एकरूपता बनी रहे। ग्राम पंचायत स्तरीय सेवा केन्द्रों का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व वर्तमान में उपलब्ध भवन एवं अन्य सुविधाओं का पूर्व सर्वे कराया जावे। जहां तक सम्भव हो सके, कार्यवार तकमीना तैयार किया जावे। कार्यवार तकमीने के आधार पर कार्य की तकनीकी स्वीकृति सहायक अभियन्ता पंचायत समिति द्वारा भी जारी की जा सकती है।

कार्यो का गुणात्मक कियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तकनीकी अधिकारियों द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निरीक्षण किये जावेंगे एवं पूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित की जावेगी। ग्रा.पं/पं.स. स्तर के प्रत्येक सेवा केन्द्र का निर्माण कार्य निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहीं पाये जाने पर अधिशाषी अभियन्ता ईजीएस/अभियान्त्रिकी पूर्णरूपेण जिम्मेदार होगे।

पंचायत समिति स्तरीय राजीव गांधी सेवा केन्द्रों की छत का कार्य संबंधित अधिशाषी अभियन्ता द्वारा व पंचायत स्तरीय केन्द्रों का सहायक अभियन्ता / राजकीय कनिष्ठ अभियन्ता व्यक्तिशः चैक किया जाकर लोहे आदि की रिकॉर्ड एन्ट्री प्रमाणित की जावेगी।

10. **<u>बीएसआर आधार</u>** :– जिस सेवा केन्द्र मे बीआरजीएफ अथवा नाबार्ड मद की राशि लग रही है उन पंचायत समिति स्तरीय सेवा केन्द्रों के तकमीने गैर नरेगा बीएसआर के आधार पर बनाया जावेगा अर्थात शहरी क्षेत्र के प्रत्येक केन्द्र तथा बीआरजीएफ योजना के 13 जिलों (बॉसवाडा, बाडमेर, चित्तौड, डूॅगरपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, करौली, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर एवं प्रतापगढ) के सभी पंचायत समिति स्तरीय सेवा केन्द्रों का तकमीना ग्रामीण कार्य निर्देशिका **(गैर नरेगा बीएसआर)** में अंकित दरों के आधार पर एवं शेष पंचायत समिति सेवा केन्द्रों के तकमीने नरेगा कार्य

निर्देशिका अनुसार बीएसआर दर से तैयार किये जावेंगे। ग्राम पंचायत स्तरीय सेवा केन्द्रो का तकमीना **नरेगा बीएसआर** के आधार पर तैयार किया जावेगा।

जिला स्तर से तैयार किये गये मॉडल एस्टीमेट की एक प्रति नरेगा मुख्यालय को आवश्यक रूप से भिजवाई जावे।

11. **सोलर संयत्र की स्थापना**– प्रत्येक पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर निर्मित होने वाले प्रत्येक सेवा केन्द्र में सोलर संयत्र की स्थापना राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एवं इन्स्ट्रूमेन्ट **(रील)** द्वारा की जावेगी। सोलर संयत्रों की स्थापना के कम में जिला/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तर से **कोई कार्यवाही नहीं की जानी है**। सोलर संयत्र की लागत राशि में से अनुदान की राशि को कम करते हुए शेष बची राशि सेवा केन्द्र की कुल लागत राशि (25 लाख/10 लाख) में सामग्री मद की राशि से वहन की जावेगी। इस संबंध में भुगतान से पूर्व रील के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा यह प्रमाणीकरण होने के पश्चात कि सोलर संयत्र निर्धारित मापदण्ड के अनुसार स्थापित कर दिया गया है तथा पंचायत समिति स्तरीय व पंचायत स्तरीय केन्द्रों का इस संबंध में क्रमशः अधिशाषी अभियन्ता व सहायक अभियन्ता / राजकीय कनिष्ठ अभियन्ताओं के परीक्षण एवं पुष्टि उपरांत ही उपरोक्तानुसार राशि का भुगतान किया जाये। शहरी क्षेत्र की पंचायत समितियो मे यह राशि नाबार्ड से प्राप्त ऋण मद मे एवं शेष सेवा केन्द्रो मे यह राशि नरेगा योजनान्तर्गत वहन की जावेगी। इन सेवा केन्द्रों के निर्माण की प्रगति से रील को नियमित रूप से अवगत कराया जावे ताकि इनके द्वारा शीघ्रातिशीध्र सोलर संयत्र स्थापित करने का कार्य किया जा सके। सोलर संयत्र की स्थापना के कम मे कोई भी सूचना/समस्या से रील के प्रतिनिधि वरिष्ठ अधिशाषी अधिकारी, रील, जयपुर से दूरभाष नम्बर 0141–2470531 अथवा रील कार्यालय, जयपुर 0141–2470908 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

12. **योजना की प्रगति की समीक्षा** – विभाग द्वारा पहल कर नरेगा योजना के कियान्वयन हेतु नरेगा सॉफ्टवेयर में सेवा केन्द्रों की प्रगति की समीक्षा हेतु अलग से एक मोड्यूल जुड़वा दिया गया है। वर्तमान में यह मोडयूल नरेगा वेबसाईट पर ऑफ लाईन मोड में कार्यरत है। नरेगा योजना की अन्य सूचनाओं के साथ साथ इन केन्द्रों की प्रगति एवं संबंधित स्थिति के फोटोग्राफ इस मोडयूल में तत्काल दर्ज किये जावे। कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व के फोटोग्राफ्स भी लिये जावें एवं इन्हें सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जावे। कुछ समय पश्चात् यह मोड्यूल ऑनलाइन कार्य करना प्रारम्भ कर देगा एवं गतिविधि की समीक्षा और भी सहज एवं सुचारू हो जावेगी। फिलहाल नरेगा की अन्य सूचनाएं जो आफ लाइन मोड में फीड की जा रही है, की भांति इन सेवा केन्द्रों की प्रगति भी दर्ज की जावे। विभाग से मासिक प्रगति के कम में समस्त वार्ता प्रभारी अधिशाषी अभियंता, जिला परिषद से की जावेगी। अतः प्रभारी अधिशाषी अभियंता सदैव नवीनतम एवं विस्तृत प्रगति के साथ अपडेट रहेंगे।

निर्माणाधीन सेवा केन्द्रों का निरीक्षण विभिन्न जिला स्तरीय एवं खण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा भी नियमित रूप से किया जावे। संबंधित पटवारी,

तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा भी इन सेवा केन्द्रों का नियमित निरीक्षण किया जावे।

13. **सामाजिक अंकेक्षण** :– पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर निर्मित होने वाले प्रत्येक सेवा केन्द्र की नरेगा योजना के दिशा–निर्देशानुसार सामाजिक अंकेक्षण का कार्य कराया जावेगा। इसी क्रम में यह भी सुनिश्चित किया जावे कि भवन निर्माण कार्य करने वाले श्रमिकों से संबंधित पूर्ण सूचनाएं भी इस भवन की एक दीवार पर अंकित करवा दी जावे।

भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कार्य का नाम अंकित कराने के साथ साथ प्रमुख स्थान पर "**पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सब को पढाओ**" भी अंकित किया जावे।

14. **निर्माण कार्य पूर्ण कराने की अवधि–** भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्यक्रम है। पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तरीय सेवा केन्द्रों का निर्माण क्रमशः **15 अगस्त व 2 अक्टूबर से पूर्व** आवश्यक रुप से पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चिात करवाया जावे। यदि किसी कार्य की प्रशासनिक/तकनीकी /वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है तो तत्काल जारी कर कार्य प्रारम्भ करवाया जावे।

15. **शिलान्यास एवं उद्घाटन** :– ग्राम पचांयत स्तरीय भारत निर्माण राजीव गॉधी सेवा केन्द्रो का शिलान्यास दिनांक 20.02.2010 से पूर्व आवश्यक रूप से सरपंच, ग्राम पंचायत द्वारा कर दिया जावे। ग्राम पंचायत स्तरीय भवन का उद्धाटन कार्य पूर्ण होने, सोलर संयंत्र की स्थापना होने, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर मय मशीन एवं ब्रॉडबेंड सहित समस्त सुविधाओ उपरान्त सेवा केन्द्र के पूर्णतया कियाशील होने पर पूरे राज्य मे एक ही तिथि को किया जाना है, इस तिथि की सूचना पृथक से भिजवाई जावेगी। अतः निर्माण कार्य पूर्ण कराने की उक्त समय सीमा की पालना सुनिश्चित कराई जावे।

16. महत्वपूर्ण तथ्य :– पंचायत समिति स्तरीय सेवा केन्द्रों के तकमीने कुछ जिलो से मुख्यालय को प्राप्त हुये है। इन तकमीनों का अवलोकन करने के पश्चात सामग्री की दरों के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये जाते हैं

1. वर्तमान में प्रभावी ग्रामीण कार्य निर्देशिका की दरे संशोधित करने में कुछ समय लग सकता है, ऐसी स्थिति में लोहे की दरों को पहले ही संशोधित कर लागू कर दिया जावे एवं इसका अनुमोदन जिला स्तरीय दर निर्धारण समिति से करवा लिया जावे।

2. लोहे की वर्तमान बाजार दर एवं ग्रामीण कार्य निर्देशिका में अनुमोदित लोहे की मूल दर की अंतर राशि को तकमीने से ही कम कर दिया जावे एवं यही प्रकिया मूल्यांकन के लिए अपनाई जावे।

किसी भी स्थिति में अधिक राशि से भुगतान/मूल्यांकन नहीं होना चाहिए।

किसी भी प्रकार की समस्या पर परियोजना निदेशक ई.जी.एस से वार्ता कर, समाधान कराते हुए सेवा केन्द्रों का निर्माण कार्य विभागीय दिशा निर्देशों की पालना एवं उत्तम गुणवत्ता के साथ निर्धारित अवधि में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः परिशिष्ट–अ :– जिलेवार वित्त पोषण का विवरण

परिशिष्ट–ब :– पंचायत समितिवार वित्त पोषण का विवरण
परिशिष्ट–स :– मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रारूप

भवदीय

(सी. एस. राजन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं परावि, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं परावि, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज राजस्थान, जयपुर।
4. शासन सचिव, सूचना प्रौद्यिगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि यह निर्माण कार्य राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओ में सम्मिलित है। सेवा केन्द्रो का निर्माण निर्धारित अवधि मे पूर्ण कराया जाना है। अतः शहरी क्षेत्र के पंचायत समिति स्तरीय सेवा केन्द्रों के लिए भी नार्बाड ऋण मद की पूर्ण राशि तत्काल उपलब्ध कराने का श्रम करावें। कार्य पूर्ण होते ही इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करवा दिया जावेगा।
5. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एवं इन्स्ट्रूमेन्ट (रील), 2, कनकपुरा औद्योगिक क्षैत्र, सिरसी रोड़, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि प्रत्येक जिला एवं पंचायत समिति स्तरीय केन्द्रो की नवनीतम प्रगति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद से प्राप्त करते रहें एवं अपेक्षित निर्माण स्थिति प्राप्त होते ही सोलर संयत्र स्थापित करना सुनिश्चित करावें। आप द्वारा स्थापित किये गये सोलर संयंत्रो की पाक्षिक प्रगति विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावें।
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
7. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस/अभियान्त्रिकी जिला परिषद समस्त।
8. एम.आई.एस मैनेजर, ई.जी.एस, जिला परिषद समस्त को भेजकर निर्देश हैं कि जिले की सम्पूर्ण पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों की नियमित प्रगति दर्ज करवाना सुनिश्चित करावें।
9. प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा को उक्त परिपत्र विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली

परि. निदे. एवं उपसचिव, ईजीएस

पृ० अ

BHARAT NIRMAN RAJEEV GANDHI SEVA KENDRA

HEAD WISE FUNDING DETAILS OF **PANCHAYAT SAMITI LEVEL** KENDRA

S.N.	District	No of P.S.	NO OF URBAN BLOCKS	FINANCIAL REQUIREMENT IN (LAKH)			
				NREGS	NABARD	BRGF	TOTAL@ 25 LAKH EACH PS
1	2	3	6	8	9	10	11
1	AJMER	8	1	175.00	25.00	0.00	200.00
2	ALWAR	14	3	275.00	75.00	0.00	350.00
3	**BANSWARA ***	8	0	49.50	16.50	134.00	200.00
4	BARAN	7	3	100.00	75.00		175.00
5	**BARMER ***	8	2	66.00	0.00	134.00	200.00
6	BHARATPUR	9	8	50.00	175.00	0.00	225.00
7	BHILWARA	11	4	175.00	100.00		275.00
8	BIKANER	6	3	75.00	75.00		150.00
9	BUNDI	5	3	50.00	75.00		125.00
10	**CHITTOR ***	11	5	49.50	41.25	184.25	275.00
11	CHURU	6	6	0.00	150.00	0.00	150.00
12	DAUSA	5	3	50.00	75.00	0.00	125.00
13	DHOLPUR	4	3	25.00	75.00		100.00
14	**DUNGARPUR ***	5	2	24.75	16.50	83.75	125.00
15	GANGANAGAR	8	7	25.00	175.00		200.00
16	HANU. GARH	7	5	50.00	125.00		175.00
17	JAIPUR	13	8	125.00	200.00	0.00	325.00
18	**JAISALMER***	3	3	0.00	24.75	50.25	75.00
19	**JALORE ***	8	3	41.25	24.75	134.00	200.00
20	**JHALAWAR ***	6	1	41.25	8.25	100.50	150.00
21	JHUNJHUNU	8	5	75.00	125.00		200.00
22	JODHPUR	10	3	150.00	100.00		250.00
23	**KAROLI ***	5	3	16.50	24.75	83.75	125.00
24	KOTA	5	2	75.00	50.00	0.00	125.00
25	NAGAUR	11	8	75.00	200.00	0.00	275.00
26	PALI	10	6	100.00	150.00		250.00
27	RAJSAMAND	7	3	100.00	75.00		175.00
28	**S.MADHOPUR ***	5	2	24.75	16.50	83.75	125.00
29	SIKAR	8	5	75.00	125.00		200.00
30	**SIROHI ***	5	4	8.25	33.00	83.75	125.00
31	**TONK ***	6	5	8.25	41.25	100.50	150.00
32	**UDAIPUR ***	12	3	74.25	24.75	201.00	300.00
33	**PRATAPGARH***	5	2	24.75	16.50	83.75	125.00
	TOTAL	**249**	**124**	**2254**	**2513.75**	**1457.25**	**6225.00**

*** BRGF DISTRICT**

13/2/10

2
13/2

BHARAT NIRMAN RAJEEV GANDHI SEVA KENDRA

HEAD WISE FUNDING DETAILS OF **PANCHAYAT SAMITI LEVEL** KENDRA

S.N.	District	Sr. No of P.S.	Name of Panchayat Samiti	No.of G.P.	URBAN / RURAL	WHETHER BRGF BLOCK ?	Funding Source	FINANCIAL REQUIREMENT IN (LAKH)			
								NREGS	NABARD	BRGF	TOTAL@ 25 LAKH EACH PS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	AJMER	1	ARAI	30	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		2	BHINAY	35	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		3	KEKADI	31	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		4	PISANGAN	45	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		5	MASUDA	32	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		6	JAWAJA	35	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		7	SHRI NAGAR	37	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		8	SILORA	31	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
	266	**8**	**TOTAL**	**276**				**175**	**25**	**0**	**200.0**
2	ALWAR	1	BANSOOR	36	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		2	BAHAROAD	29	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		3	KATHOOMAR	41	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		4	KISHANGARH	29	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		5	KOTKASIM	24	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		6	LAKSHAMANGARH	44	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		7	MUNDAWAR	40	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		8	NEEMRANA	33	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		9	RAJGARH	30	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		10	RAMGARH	37	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		11	RENI	26	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		12	THANAGAJI	35	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		13	TIJARA	38	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		14	UMRAIN	36	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
	472	**14**	**TOTAL**	**478**				**275**	**75**	**0**	**350.0**

S.N.	District	Sr. No of P.S.	Name of Panchayat Samiti	No.of G.P.	URBAN / RURAL	WHETHER BRGF BLOCK ?	Funding Source	FINANCIAL REQUIREMENT IN (LAKH)			
								NREGS	NABARD	BRGF	TOTAL@ 25 LAKH EACH PS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	BANSWARA	1	ANANDPURI	26	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		2	BAGIDORA	41	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		3	GADHI	53	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		4	GHATOL	55	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		5	KUSHALGARH	29	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		6	SAJJANGARH	30	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		7	TALWARA	55	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		8	Choti Sarvan		RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
	307	8	**TOTAL**	**289**				**66**	**0**	**134**	**200.0**
4	BARAN	1	ANTA	38	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		2	ATARU	34	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		3	BARAN	27	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		4	CHABDA	27	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		5	CHIPABAROD	30	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		6	KISHANGANJ	32	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		7	SHAHBAD	27	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
	214	7	**TOTAL**	**215**				**100**	**75**	**0**	**175.0**
5	BARMER	1	SHIV	45	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		2	BAYATU	47	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		3	BALOTARA	54	URBAN	YES	NABARD+BRGF		8.25	16.75	25.0
		4	BARMER	50	URBAN	YES	NABARD+BRGF		8.25	16.75	25.0
		5	CHOHATAN	51	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		6	SINDHARI	46	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		7	DHORIMANNA	47	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		8	SIWANA	40	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
	380	8	**TOTAL**	**380**				**49.5**	**16.5**	**134**	**200.0**

2
13/2

S.N.	District	Sr. No of P.S.	Name of Panchayat Samiti	No.of G.P.	URBAN / RURAL	WHETHER BRGF BLOCK ?	Funding Source	FINANCIAL REQUIREMENT IN (LAKH)			
								NREGS	NABARD	BRGF	TOTAL@ 25 LAKH EACH PS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	BHARATPUR	1	BAYANA	45	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		2	DEEG	36	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		3	KANMA	44	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		4	KUMHER	36	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		5	NADBAI	37	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		6	NAGAR	49	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		7	ROOPWAS	45	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		8	SEWAR	33	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		9	VAIR	46	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
	371	9	**TOTAL**	**371**				**25**	**200**	**0**	**225.0**
7	BHILWARA	1	ASIND	44	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		2	BANEDA	26	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		3	HURDA	20	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		4	JAHAJPUR	37	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		5	KOTADI	33	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		6	MANDAL	46	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		7	MANDALGARH	53	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		8	RAIPUR	22	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		9	SAHADA	28	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		10	SHAHPURA	38	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		11	SUWANA	34	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
	383	11	**TOTAL**	**381**				**175**	**100**	**0**	**275.0**
8	BIKANER	1	BIKANER	63	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		2	NOKHA	53	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		3	KOLAYAT	37	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		4	LOONKARANSAR	36	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		5	SRIDUNGARGARH	30	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		6	Khaju Wala		RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
	219	6	**TOTAL**	**219**				**75**	**75**	**0**	**150.0**

S.N.	District	Sr. No of P.S.	Name of Panchayat Samiti	No.of G.P.	URBAN / RURAL	WHETHER BRGF BLOCK ?	Funding Source	FINANCIAL REQUIREMENT IN (LAKH)			
								NREGS	NABARD	BRGF	TOTAL@ 25 LAKH EACH PS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	BUNDI	1	TALEDA	61	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		2	KESHORAIPATAN	46	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		3	HINDOLI	41	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		4	NENVA	33	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		5	Bundi		URBAN	NO			25		25.0
	181	5	**TOTAL**	**181**				**50**	**75**	**0**	**125.0**
10	CHITTOR	1	BADISADARI	23	URBAN	YES	NABARD+BRGF		8.25	16.75	25.0
		2	BEGUN	31	URBAN	YES	NABARD+BRGF		8.25	16.75	25.0
		3	BHADESAR	25	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		4	BHANSROADGARH	23	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		5	BHUPALSAGAR	19	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		6	CHITTORGARH	40	URBAN	YES	NABARD+BRGF		8.25	16.75	25.0
		7	DUNGALA	26	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		8	GANGARAR	27	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		9	KAPASAN	23	URBAN	YES	NABARD+BRGF		8.25	16.75	25.0
		10	NIMBHAHERA	35	URBAN	YES	NABARD+BRGF		8.25	16.75	25.0
		11	RASHAMI	23	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
	288	11	**TOTAL**	**295**				**49.5**	**41.25**	**184.25**	**275.0**
11	CHURU	1	CHURU	39	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		2	RATANGARH	38	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		3	SUJANGARH	54	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		4	SARDARSHAHAR	50	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		5	RAJGARH	56	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		6	TARANAGAR	29	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
	249	6	**TOTAL**	**266**				**0**	**150**	**0**	**150.0**

S.N.	District	Sr. No of P.S.	Name of Panchayat Samiti	No.of G.P.	URBAN / RURAL	WHETHER BRGF BLOCK ?	Funding Source	FINANCIAL REQUIREMENT IN (LAKH)			
								NREGS	NABARD	BRGF	TOTAL@ 25 LAKH EACH PS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	DAUSA	1	BANDIKUI	42	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		2	MAHUVA	41	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		3	DAUSA	52	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		4	SIKRAI	41	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		5	LALSOT	47	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
	225	5	TOTAL	223				50	75	0	125.0
13	DHOLPUR	1	DHOLPUR	48	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		2	RAJAKHEDA	39	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		3	BADI	31	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		4	BASEDI	35	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
	153	4	TOTAL	153			NREGS+BRGF	25	75	0	100.0
14	DUNGARPUR	1	ASPUR	49	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		2	BICHIWARA	48	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		3	DUNGARPUR	36	URBAN	YES	NABARD+BRGF		8.25	16.75	25.0
		4	SAGWARA	46	URBAN	YES	NABARD+BRGF		8.25	16.75	25.0
		5	SIMALWARA	58	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
	237	5	TOTAL	237				24.75	16.5	83.75	125.0
15	GANGANAGAR	1	GANGANAGAR	44	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		2	KARANPUR	35	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		3	PADAMPUR	36	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		4	RAISINGNAGAR	47	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		5	ANUPGARH	88	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		6	SURATGARH	38	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		7	SADULSAHAR	32	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		8	Gharsana		RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
	320	8	TOTAL	320				25	175	0	200.0

S.N.	District	Sr. No of P.S.	Name of Panchayat Samiti	No.of G.P.	URBAN / RURAL	WHETHER BRGF BLOCK ?	Funding Source	FINANCIAL REQUIREMENT IN (LAKH)			
								NREGS	NABARD	BRGF	TOTAL@ 25 LAKH EACH PS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	HANU. GARH	1	HANU. GARH	121	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		2	NOHAR	81	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		3	BHADARA	49	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		4	RAWATSAR		URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		5	SANGARIYA		RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		6	PILIBANGA		URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		7	TIBBI		RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
	251	**7**	**TOTAL**	**251**				**50**	**125**	**0**	**175.0**
17	JAIPUR	1	AMER	48	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		2	BASSI	39	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		3	CHAKSU	35	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		4	DUDU	56	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		5	GOVINDGARH	42	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		6	JHOTWARA	16	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		7	JAMVARAMGARH	43	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		8	KOTPUTALI	42	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		9	PHAGI	31	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		10	SAMBHAR	44	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		11	SANGANER	25	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		12	SHAHPURA	30	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		13	VIRATNAGAR	37	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
	488	**13**	**TOTAL**	**488**				**125**	**200**	**0**	**325.0**
18	JAISALMER	1	JAISALMER	40	URBAN	YES	NABARD+BRGF		8.25	16.75	25.0
		2	SAM	49	URBAN	YES	NABARD+BRGF		8.25	16.75	25.0
		3	SANKADA	39	URBAN	YES	NABARD+BRGF		8.25	16.75	25.0
	128	**3**	**TOTAL**	**128**				**0**	**24.75**	**50.25**	**75.0**

S.N.	District	Sr. No of P.S.	Name of Panchayat Samiti	No.of G.P.	URBAN / RURAL	WHETHER BRGF BLOCK ?	Funding Source	FINANCIAL REQUIREMENT IN (LAKH)			
								NREGS	NABARD	BRGF	TOTAL@ 25 LAKH EACH PS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	JALORE	1	JALORE	28	URBAN	YES	NABARD+BRGF		8.25	16.75	25.0
		2	AAHOR	41	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		3	SAYALA	38	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		4	BHINLMAL	35	URBAN	YES	NABARD+BRGF		8.25	16.75	25.0
		5	RANIWARA	30	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		6	JASWANTPURA	29	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		7	SANCHOR	63	URBAN	YES	NABARD+BRGF		8.25	16.75	25.0
		8	CHITALWANA		RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
	264	8	**TOTAL**	**264**				**41.25**	**24.75**	**134**	**200.0**
20	JHALAWAR	1	JHALRAPATAN	48	URBAN	**YES**	NREGS+BRGF		8.25	16.75	25.0
		2	KHANPUR	38	RURAL	**YES**	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		3	DUG	40	RURAL	**YES**	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		4	MANOHARTHANA	40	RURAL	**YES**	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		5	SUNEL	44	RURAL	**YES**	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		6	BAKANI	42	RURAL	**YES**	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
	252	6	**TOTAL**	**252**				**41.25**	**8.25**	**100.5**	**150.0**
21	JHUNJHUNU	1	JHUNJHUNU	36	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		2	ALSISAR	34	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		3	CHIRAWA	29	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		4	SURAJGARH	37	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		5	BUHANA	42	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		6	KHETARI	38	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		7	UDAIPURVATI	37	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		8	NAVALGARH	35	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
	288	8	**TOTAL**	**288**				**75**	**125**	**0**	**200.0**

S.N.	District	Sr. No of P.S.	Name of Panchayat Samiti	No.of G.P.	URBAN / RURAL	WHETHER BRGF BLOCK ?	Funding Source	FINANCIAL REQUIREMENT IN (LAKH) NREGS	NABARD	BRGF	TOTAL@ 25 LAKH EACH PS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	JODHPUR	1	BALESAR	33	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		2	BAP	32	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		3	BHOPALSAGAR	36	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		4	BILADA	38	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		5	LUNI	39	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		6	MANDOR	25	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		7	OANSIA	67	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		8	PHALODI	37	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		9	SHERGARH	32	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		10	BAORI		RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
	339	10	**TOTAL**	**339**				**175**	**75**	**0**	**250.0**
23	KAROLI	1	KAROLI	45	URBAN	YES	NABARD+BRGF		8.25	16.75	25.0
		2	HINDON	51	URBAN	YES	NABARD+BRGF		8.25	16.75	25.0
		3	SAPOTARA	55	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		4	TODABHIM	44	URBAN	YES	NABARD+BRGF		8.25	16.75	25.0
		5	NADOTI	29	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
	223	5	**TOTAL**	**224**				**16.5**	**24.75**	**83.75**	**125.0**
24	KOTA	1	LADPURA	27	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		2	KHERABAD	36	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		3	SANGOD	36	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		4	ITAWA	30	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		5	SULTANPUR	33	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
	157	5	**TOTAL**	**162**				**75**	**50**	**0**	**125.0**
	NAGAUR	1	DEGANA	43	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		2	DEDWANA	57	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		3	JAYAL	45	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		4	KUCHAMAN	55	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0

S.N.	District	Sr. No of P.S.	Name of Panchayat Samiti	No.of G.P.	URBAN / RURAL	WHETHER BRGF BLOCK ?	Funding Source	FINANCIAL REQUIREMENT IN (LAKH) NREGS	NABARD	BRGF	TOTAL@ 25 LAKH EACH PS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5	LADNU	32	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		6	MAKRANA	36	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		7	MERATA	34	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		8	MUNDWA	39	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		9	NAGAUR	47	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		10	PARVATSAR	35	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		11	RIYABADI	38	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
	461	11	**TOTAL**	**461**				**75**	**200**	**0**	**275.0**
26	PALI	1	BALI	39	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		2	DESURI	24	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		3	JAITARAN	33	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		4	MARWAD JN.	47	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		5	PALI	23	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		6	RAIPUR	35	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		7	RANI	29	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		8	ROHAT	23	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		9	SOJAT	38	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		10	SUMERPUR	29	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
	320	10	**TOTAL**	**320**				**100**	**150**	**0**	**250.0**
27	RAJSAMAND	1	AAMET	20	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		2	BHIM	31	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		3	DEVGARH	19	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		4	KHAMANOR	41	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		5	KUMBHALGARH	37	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		6	RELMAGARA	29	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		7	RAJSAMAND	29	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
	205	7	**TOTAL**	**206**				**100**	**75**	**0**	**175.0**

132

S.N.	District	Sr. No of P.S.	Name of Panchayat Samiti	No.of G.P.	URBAN / RURAL	WHETHER BRGF BLOCK ?	Funding Source	FINANCIAL REQUIREMENT IN (LAKH)			
								NREGS	NABARD	BRGF	TOTAL@ 25 LAKH EACH PS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	S.MADHOPUR	1	S.MADHOPUR	47	URBAN	YES	NABARD+BRGF		8.25	16.75	25.0
		2	KHANDAR	35	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		3	BONLI	41	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		4	BAWANBAS	36	RURAL	YES	NABARD+BRGF	8.25		16.75	25.0
		5	GANGAPOR CT	38	URBAN	YES	NABARD+BRGF		8.25	16.75	25.0
	197	5	**TOTAL**	**197**				**24.75**	**16.5**	**83.75**	**125.0**
29	SIKAR	1	FATEHPUR	35	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		2	LAKSHAMANGARH	37	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		3	PIPRALI	36	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		4	DHOD	43	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		5	DHATARAMGARH	45	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		6	SHRIMADHOPUR	34	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
		7	KHANDELA	40	RURAL	NO	ONLY NREGS	25			25.0
		8	NEEMKATHANA	59	URBAN	NO	ONLY NABARD		25		25.0
	329	8	**TOTAL**	**329**				**75**	**125**	**0**	**200.0**
30	SIROHI	1	SIROHI	31	URBAN	YES	NABARD+BRGF		8.25	16.75	25.0
		2	SHIVGANJ	24	URBAN	YES	NABARD+BRGF		8.25	16.75	25.0
		3	PINDWARA	34	URBAN	YES	NABARD+BRGF		8.25	16.75	25.0
		4	REVDAR	37	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		5	ABUROAD	25	URBAN	YES	NABARD+BRGF		8.25	16.75	25.0
	151	5	**TOTAL**	**151**				**8.25**	**33**	**83.75**	**125.0**
31	TONK	1	TONK	50	URBAN	YES	NABARD+BRGF		8.25	16.75	25.0
		2	TODARAISINGH	31	URBAN	YES	NABARD+BRGF		8.25	16.75	25.0
		3	DEOLI	41	URBAN	YES	NABARD+BRGF		8.25	16.75	25.0
		4	UNIARA	33	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		5	MALPURA	36	URBAN	YES	NABARD+BRGF		8.25	16.75	25.0
		6	NEWAI	41	URBAN	YES	NABARD+BRGF		8.25	16.75	25.0
	231	6	**TOTAL**	**232**				**8.25**	**41.25**	**100.5**	**150.0**

2
13/2

S.N.	District	Sr. No of P.S.	Name of Panchayat Samiti	No.of G.P.	URBAN / RURAL	WHETHER BRGF BLOCK ?	Funding Source	FINANCIAL REQUIREMENT IN (LAKH)			
								NREGS	NABARD	BRGF	TOTAL@ 25 LAKH EACH PS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	UDAIPUR	1	GIRVA	48	URBAN	YES	NABARD+BRGF		8.25	16.75	25.0
		2	BADGOAN	25	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		3	GOGUNDA	40	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		4	MAVLI	47	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		5	BHINDER	52	URBAN	YES	NABARD+BRGF		8.25	16.75	25.0
		6	KHERWARA	62	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		7	SALUMBER	48	URBAN	YES	NABARD+BRGF		8.25	16.75	25.0
		8	SARADA	46	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		9	JHADOL	45	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		10	KOTADA	36	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		11	LASADIA		RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		12	RISHABHDEV		RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
	467	**12**	**Total**	**449**				**74.25**	**24.75**	**201**	**300.0**
33	PRATAPGARH	1	ARNOD	30	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		2	PRATAPGARH	49	URBAN	YES	NABARD+BRGF		8.25	16.75	25.0
		3	CHHOTISADARI	24	URBAN	YES	NABARD+BRGF		8.25	16.75	25.0
		4	DHARIWADH	49	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
		5	PEEPALKHOOT	36	RURAL	YES	NREGS+BRGF	8.25		16.75	25.0
	152	**5**	**Total**	**188**				**24.75**	**16.5**	**83.75**	**125.0**
grand	**9168**	**249**		**9213**	**URBAN = 124, RURAL = 125**			**2254.00**	**2513.75**	**1457.25**	**6225.00**

2/13/2

परि० स

परिशिष्ट 17 अ

कार्यालय पंचायत समिति ...., जिला ....

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

1. कार्य का नाम -- भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र निर्माण, ...
2. योजना का नाम .... कार्यकारी एजेन्सी ....
3. वित्तीय स्वीकृति सं. .... दिनांक .... कुल स्वीकृत राशि ....

क्र.सं.	मद	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1	बीआरजीएफ	
2	नाबार्ड / नरेगा	
	योग	

4. वास्तविक कार्य का विवरण (मौके पर माप के अनुसार) ....
5. माप पुस्तिका में उल्लेखित मूल्यांकन राशि ....
   माप पुस्तिका संख्या .... पृष्ठ संख्या ....

क्र. सं.	मद	मूल्यांकन राशि		
		श्रम	सामग्री	योग
1	बीआरजीएफ			
2	नाबार्ड / नरेगा			
	योग			

6. कार्य पर वास्तविक व्यय .... (लेखों के अनुसार)

क्र. सं.	मद	व्यय राशि		
		श्रम	सामग्री	योग
1	बीआरजीएफ			
2	नाबार्ड / नरेगा			
	योग			

13/2

7. अनुमत राशि ....

क्र. सं.	मद	अनुमत राशि		
		श्रम	सामग्री	योग
1	बीआरजीएफ			
2	नाबार्ड / नरेगा			
	योग			

(अनुमत राशि वह राशि होगी जो स्वीकृत राशि की सीमा में वास्तविक व्यय एवं मूल्यांकन राशि में से जो भी कम हो)

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्य पर कुल राशि .... (अक्षरे राशि रू. .... मात्र) का उपयोग कर लिया गया है। कार्य का क्रियान्वयन ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।

दिनांक :

(नाम ....)
(हस्ताक्षर कार्यकारी संस्था के सक्षम अधिकारी)
पदनाम एवं कार्यालय का पता

मूल्यांकन जांच प्रमाण पत्र
(पैरा 20.4 में उल्लेखित सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिया जावेगा)

उपरोक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की जांच कर प्रमाणित किया जाता है कि कार्य का मूल्यांकन ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2004 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। कार्य का निष्पादन ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2004 के मापदण्डों एवं तकमीने के अनुसार हुआ है। कार्य के माप एवं मूल्यांकन को सत्यापित किया जाकर इस कार्य पर अनुमत राशि .... (अक्षरे राशि रू. .... मात्र) के समायोजन की अभिशंषा की जाती है।

(नाम ....)
(हस्ताक्षर सक्षम प्राधिकृत अधिकारी)
पदनाम एवं कार्यालय का पता

12/2/10

परिशिष्ट 18

कार्यालय पंचायत समिति ...., जिला ....

कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र
(पंचायत/ पंचायत समिति/ जिला परिषद द्वारा)

1. कार्य का नाम – भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र निर्माण
   योजना का नाम .... कार्यकारी एजेन्सी ....
2. प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक/ दिनांक
3. तकनीकी स्वीकृति क्रमांक/ दिनांक
4. वित्तीय स्वीकृति क्रमांक/ दिनांक
5. स्वीकृत राशि रूपये

क्र.सं.	मद	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1	बीआरजीएफ	
2	नाबार्ड/ नरेगा	
	योग	

6. कार्य शुरू करने की दिनांक
7. कार्य पूर्ण होने की दिनांक
8. कार्य पर वास्तविक व्यय .... (लेखों के अनुसार)

क्र. सं.	मद	व्यय राशि		
		श्रम	सामग्री	योग
1	बीआरजीएफ			
2	नाबार्ड/ नरेगा			
	योग			

9. मूल्यांकन के अनुसार

क्र. सं.	मद	मूल्यांकन राशि		
		श्रम	सामग्री	योग
1	बीआरजीएफ			
2	नाबार्ड/ नरेगा			
	योग			

10. अनुमत राशि

क्र. सं.	मद	अनुमत राशि		
		श्रम	सामग्री	योग
1	बीआरजीएफ			
2	नाबार्ड / नरेगा			
	योग			

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्य का माप एवं मूल्यांकन ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2004 के अनुसार किया गया है। उपरोक्त किये गये कार्य का मूल्यांकन उपरोक्त बिन्दु संख्या 9 में उल्लेखित है, जिसका उपयोग कर स्वीकृत कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा कार्य की फोटो ली जाकर संलग्न कर दी गई है। उक्त कार्य के माप का इन्द्राज माप पुस्तिका संख्या .... पृष्ठ सं. .... पर कर दिया गया है। अनुमत राशि .... (अक्षरे राशि रू. .... मात्र) समायोजन योग्य है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सृजित परिसम्पत्ति को दिनांक .... को कार्यकारी संस्था के द्वारा .... विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया है तथा प्राप्त करने वाले विभाग के सक्षम अधिकारी से रसीद प्राप्त कर ली है। इस कार्य का परिसम्पत्तियों के लिए संधारित विकास पंजिका रजिस्टर में क्र.सं. .... पर इन्द्राज कर लिया गया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि बीआरजीएफ योजनान्तर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों के नाम, भुगतान की गई मजदूरी राशि का विवरण उक्त सेवा केन्द्र की दीवार पर अंकित करवा दिया गया है।

दिनांक :

हस्ताक्षर

सक्षम अधिकारी
(कार्यकारी संस्था)

6 इंच X 4 इंच की फोटो संलग्न करें (मय प्रमाणित) (कार्य शुरू होने से पहिले)	6 इंच X 4 इंच की फोटो संलग्न करें (मय प्रमाणित) (कार्य शुरू होने से पहिले)

२ 13/2/10

मूल्यांकन जांच प्रमाण पत्र

(पैरा 20.4 में उल्लेखित सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिया जावेगा)

उपरोक्त पूर्णता प्रमाण पत्र की जांच कर प्रमाणित किया जाता है कि कार्य का मूल्यांकन ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2004 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। कार्य का निष्पादन ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2004 के मापदण्डों एवं तकमीने के अनुसार हुआ है। कार्य के माप एवं मूल्यांकन को सत्यापित किया जाकर इस कार्य पर अनुमत राशि .... (अक्षरे राशि रू. .... मात्र) के समायोजन की अभिशंषा की जाती है।

(नाम ....)
(हस्ताक्षर सक्षम प्राधिकृत अधिकारी)
पदनाम एवं कार्यालय का पता

२।३।२।१०